

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

सं०:- राज/NGR-20/LST-06

दिनांक

प्रेषित M/s J.K.White Cement Works
(Unit of J.K. Cement Works Ltd.)
Post -Gotan , Tehsil- Merta
District- Nagour-342902 (Raj.)

विषय: राजस्थान राज्य के Nagaur जिले में स्थित आपकी Dhanappa Limestone Mine (400 हे.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ20007)1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24/12/2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

Rule No	Nature of violations observed in detail
13(1)	(i)The mineral bench has not been sufficiently advanced with interburden bench as per plate V-C of approved mining plan. (ii) Backfilled area is not properly levelled as proposal given in pit no. 3A.
27(4)	The plans and sections required under rule 28 have not been maintained upto date within three months.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(के.के. टारडिया)

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता,, DMG, Gotan को सूचनार्थ प्रेषित।

उप खान नियंत्रक